भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3039

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

असम में सिंचाई योजनाएं

3039. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के कुछ क्षेत्रों में किसान सिंचाई की कमी के कारण खेती करने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई योजनाओं के लिए असम राज्य सरकार को स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम में सिंचाई प्रणाली को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार असम में कुल बुआई क्षेत्र 28.27 लाख हेक्टेयर तथा कुल सिंचित क्षेत्र 2.96 लाख हेक्टेयर है।

(ख) और (ग) जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं की संसाधनों और प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों के अनुपूरक के रूप में भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है जिनके कई घटक हैं यथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) तथा वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)।

पिछले तीन वर्षों के दौरान असम सरकार को पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए) का विवरण निम्नलिखित है:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	घटक का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	पीडीएमसी	11.00	3.00	30.00
2	डब्ल्यूडीसी	0	65.09	66.55
3	एआईबीपी	0	0	0
4	एचकेकेपी-(क) सीएडीडब्ल्यूएम	0	0	3.55
	(ख) एसएमआई	87.86	375.77	428.34
	(ग)आरआरआर	0	0	0
	कुल	98.86	443.86	528.44

एसएमआई - सतही लघु सिंचाई स्कीम; सीएडीडब्ल्यूएम - कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन; आरआरआर - जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार

*****